मनन किया गया। पत्रावली संलग्न दस्त
प्राप्त जवाब सरकार स्वम. कथन को
गहन अध्ययन अवलोकन करने से हम
इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि वादीगण
द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को स्वीकार किया
जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का
वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत
निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली
किया जाता है। पत्रावली में अब कार्यवाही
शेष नहीं होने से फैसल शुमार होकर
दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/11/25 को
सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद, जिला कोटा

मि0 न0
93/2025

तारीख दायरा
03.07.2025

तारीख फैसला
24.11.2025

पीठासीन अधिकारी – श्री दीपक महावर (आर.ए.एस.)

मोडूलाल उर्फ मोडू आत्मज भूरा उर्फ भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी दिवानिया तहसील दीगोद (वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

वादी की और से :– श्री छीतरलाल गोचर (प्रतिवादी)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट वास्ते राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्ती

–: निर्णय :–

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि यह कि ग्राम दिवानिया तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के खातें में खाता सं0 51 नया 60 पुराना की खसरा नं0 175 रकबा 1.23 है0 ख0न0 177/300 रकबा 0.40 है0 ख0न0 183/295 रकबा 0.13 है0, ख0न0 184 रकबा 2.29 है0 ख0 नं0 55 रकबा 0.82 है0 कुल 5 किता की 4.87 है0 भूमि शामलाती खातेदारी में स्थित चली आ रही है जिसमे वादी का नाम मोडू पुत्र भूरा दर्ज है जमाबन्दी सम्वत 2074–2074 सलंग्न है। यह की उक्त आराजी में बादी का नाम मोडू पुत्र भूरा दर्ज कर दिया गया है जबकि चादी का समस्त दस्तावेजो में वादी का नाम मोडूलाल पुत्र भंवरलाल है। जिससे वादी को सरकारी योजनाओं में किसान केडिट कार्ड आदी लेने में परेशानी आ रही है। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। यह कि उक्त वादी का नाम आधार कार्ड पहचान पत्र राशन कार्ड, पेन कार्ड, बैंक डायरी, आदि में वादी का नाम मोडूलाल पुत्र भंवरलाल है। वादी की नाम ग्राम दिवानिया जमाबन्दी में मोडू पुत्र भूरा दर्ज होने से सरकारी योजनाओं का लाभ व भूमि सुधार के लिऐ किसान केडिट कार्ड व मुआवजा लेने से वन्चित हो रहा है। वादी को दस्तावेजों के आधार पर अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में लिखवाने का कानूनन अधिकार है इसलिए वादी का नाम दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। कि प्रतिवादी के कर्मचारियो द्वारा ग्राम दिवानिया की भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम मोडूलाल पुत्र भंवरलाल के स्थान पर मोडू पुत्र भूरा दर्ज कर दिया है उपरोक्त कारण से राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम मोडूलाल पुत्र भंवरलाल दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में वादी ने प्रतिवादी से दिनांक 22.06.2025 को निवेदन करने पर उन्होंने कोई ध्यान नही किया और मना कर दिया जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। 5 यह कि वाद कारण दिनांक 22.06.2025 को उत्पन्न हुआ जब कि

प्रतिवादी ने उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में बादी का नाम दुरूस्त नहीं करने की कहने पर पैदा हुआ। यह कि प्रतिवादी भूमि का लेण्ड होल्डर होने से उसे वाद में बहैसियत प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जाये कि ग्राम दिवानिया तहसील दीगोद जिला कोटा में वांदी के खाते में खाता सं0 51 नया 60 पुराना की खसरा नं0 175 रकबा 1.23 है0. खसरा नं0 177/300 रकबा 0.40 है0 ख0नं0 183/295 रकबा 0.13 है0, ख0नं0 184 रकबा 2.29 है0 ख0नं0 55 रकबा 0.82 है0 कुल 5 किता की 4.87 है0 भूमि शामलाती खातेदारी में स्थित चली आ रही है जिसमे बादी का नाम मोडू पुत्र भूरा दर्ज है। वादी का नाम मोडू पुत्र भूरा के स्थान पर मोडूलाल पुत्र भंवरलाल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने का आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी विधिवत करवायी गयी। प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद की और से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार दीगोद ने अपने जवाब में वादी का नाम मोडू पुत्र भूरा के स्थान पर मोडूलाल पुत्र भंवरलाल किये जाने की अनुशंषा की गयी है।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम दिवानिया तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के खातें में खाता सं0 51 नया 60 पुराना की खसरा नं0 175 रकबा 1.23 है0 ख0न0 177/300 रकबा 0.40 है0 ख0न0 183/295 रकबा 0.13 है0, ख0न0 184 रकबा 2.29 है0 ख0 नं0 55 रकबा 0.82 है0 कुल 5 किता की 4.87 है0 भूमि में वादी का नाम मोडू पुत्र भूरा के स्थान पर मोडू उर्फ मोडूलाल पुत्र भूरा उर्फ भंवरलाल किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नही रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

डिक्री मुकदमा

(आ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी – श्री दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

मोडूलाल उर्फ मोडू आत्मज भूरा उर्फ भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी दिवानिया तहसील दीगोद
(वादी)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादी की और से :– श्री छीतरलाल गोचर

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट वास्ते राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्ती

मिसल नम्बर 93/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ दीपक महावर आर.ए.एस बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मिनजानिब मुद्दालयह न्यायालय में पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि वा५ वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम दिवानिया तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के खातें में खाता सं0 51 नया 60 पुराना की खसरा नं0 175 रकबा 1.23 है0 ख0न0 177/300 रकबा 0.40 है0 ख0न0 183/295 रकबा 0.13 है0, ख0न0 184 रकबा 2.29 है0 ख0 नं0 55 रकबा 0.82 है0 कुल 5 किता की 4.87 है0 भूमि में वादी का नाम मोडू पुत्र भूरा के स्थान पर मोडू उर्फ मोडूलाल पुत्र भूरा उर्फ भंवरलाल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 28.08.2025 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनाम	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	८

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगें।

सहायक कलक्टर
दीगोद